649

[2020] 7 एस. सी. आर. 649

क.

नई दिल्ली टीवी लिमिटेड बनाम

आय कर विभाग के आयुक्त (2020 की सिविल अपील संख्या 1008)

अप्रैल 03,2020

[एल**.** नागेश्वर राव और दीपाक गुप्ता**,** जेजे।**]**

आय कर अधिनियम, 1961:s.147-के तहत शक्ति, आह्वान-क्या राजस्व के पास यह मानने के लिए पर्याप्त कारण थे कि निर्धारिती की अघोषित आय मूल्यांकन से बच गई है और यू/एस नोटिस जारी करने के लिए आधार थे।147 – आयोजित किया गयाःबाद के मूल्यांकन वर्षों के लिए कार्यवाही के दौरान निर्धारण अधिकारी के ध्यान में आने वाली जानकारी निश्चित रूप से निर्धारण अधिकारी यू/एस के पास निहित शक्तियों को लागू करने के लिए ठोस सामग्री बना सकती है।147 अधिनियम के अनुसार-नोटिस जारी करने के चरण में, निर्धारण अधिकारी को केवल प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण बनाना है-तत्काल मामले में, बाद के वर्षों के लिए मूल्यांकन कार्यवाही में प्रकट की गई सामग्री इस तरह का दृष्टिकोण बनाने के लिए पर्याप्त थी-तदनुसार, यह मानने के कारण थे कि आय इस मामले में मूल्यांकन से बच गई थी।

ग

डी.

आय कर अधिनियम, 1961:s.147, पहला परंतुक-सीमा-विस्तारित अवधि का आह्वान-भौतिक तथ्यों का खुलासा न करने का आरोप-यह आरोप कि निर्धारिती भारत में अपनी बिना कर वाली आय को विदेशों में संस्थाओं को हस्तांतरित करने और फिर इसे भारत में वापस लाने के उद्देश्य से मुखौटा कंपनियों का नेटवर्क बनाने का दोषी था, जिससे कराधान से बचा जा सके-राजस्व ने अल्पसंख्यक शेयरधारकों द्वारा की गई कुछ शिकायतों पर भरोसा रखा और यह आरोप लगाया गया कि उन शिकायतों से पता चला कि निर्धारिती अपने धन की राउंड ट्रिपिंग में लिप्त था-आयोजितःइन शिकायतों को उच्च न्यायालय या इस न्यायालय के समक्ष प्रकाश में नहीं देखा गया और इसलिए, यदि उन पर भरोसा किया जाता है तो निर्धारिती के लिए यह अनुचित था-राजस्व पहले परंतुकों के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए 6 साल की सीमा की विस्तारित अवधि का लाभ ले सकता है।147 यदि राजस्व यह दिखा सकता है कि निर्धारिती अपने मूल्यांकन के लिए आवश्यक सभी भौतिक तथ्यों को पूरी तरह से और सही मायने में प्रकट करने में विफल रहा है-निर्धारिती ने उन सभी तथ्यों का खुलासा किया था जो वह प्रकट करने के लिए बाध्य था-यदि राजस्व उस स्तर पर मामले की आगे की जांच करना चाहता था तो वह आसानी से निर्धारिती को अधिक तथ्य प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता था-निर्धारिती ने कहा

ई.

च

जी.

एच.

649 ए.

650 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 7 एस. सी. आर.

एन. एन. पी. एल. सी. द्वारा लेन-देन के लिए गारंटी देने के लिए सहमत होने के बारे में प्रकटीकरण और इसने परिवर्तनीय बांड जारी करने और उनके मोचन के तथ्य का भी खुलासा किया था-आय, यदि कोई हो, तो रियायती मूल्य पर मोचन के कारण

उत्पन्न हुई-यह एक ऐसी घटना थी जो विचाराधीन मूल्यांकन वर्ष के बाद हुई थी, हालांकि यह मूल्यांकन वर्ष के लिए आय हो सकती है-सभी प्रासंगिक तथ्य विधिवत मूल्यांकन अधिकारी के ज्ञान में थे-मूल्यांकन अधिकारी को पता था कि वे संस्थाएं कौन थीं जिन्होंने अन्य परिवर्तनीय बांडों की सदस्यता ली थी और सहायक कंपनियों से संबंधित अन्य कार्यवाही में एक ही मूल्यांकन अधिकारी को पते और प्रत्येक बांडधारकों द्वारा भुगतान किए गए विचार की जानकारी थी-इस तथ्य का खुलासा किया गया कि एन. एन. पी. एल. सी. द्वारा 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर के लिए स्टेप-अप कूपन बांड जारी किए गए थे।

ग

डी.

आय कर अधिनियम, 1961:s.147, दूसरा परंतुक-राजस्व की याचिका जो एस के लिए दूसरे परंतुक के संदर्भ में है।147 आर/डब्ल्यू एस।149(1)(ग) सीमा अवधि 16 वर्ष की होगी क्योंकि निर्धारिती ने विदेशी इकाई से आय प्राप्त की है-धारितःनिर्धारिती को जारी किया गया नोटिस दूसरे परंतुक के संबंध में मौन था-नोटिस में किसी भी विदेशी संस्था का कोई उल्लेख नहीं था-केवल एस का उल्लेख था।148 – यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं था कि राजस्व 16 वर्षों की विस्तारित अवधि को लागू करने का इरादा रखता था-यह केवल निर्धारिती द्वारा दिए गए कारणों पर अपना जवाब दाखिल करने के बाद ही था कि पहली बार अस्वीकृति के क्रम में, राजस्व द्वारा दूसरे परंतुक का संदर्भ दिया गया था-यह उचित या उचित प्रक्रिया नहीं है-निर्धारिती को अपनी आपत्तियों की अस्वीकृति के स्तर पर या उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के स्तर पर आश्चर्यचकित नहीं किया जा सकता था कि नोटिस को एस के दूसरे परंतुक के प्रावधानों को लागू करने वाले नोटिस के रूप में माना जाना है। 147 अधिनियम का-तदनुसार, सूचना और सहायक कारणों में एस के दूसरे परंतुक के प्रावधानों का आह्वान नहीं किया गया था। 147 अधिनियम और इसलिए इस स्तर पर राजस्व को दूसरे परंतुक का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

ई.

च

जी.

एच.

651

नई दिल्ली टीवी लिमिटेड बनामआय कर विभाग के आयुक्त ए

क.

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़नाः**1.** बाद के वर्षों के लिए मूल्यांकन कार्यवाही में प्रकट की गई सामग्री के साथ**-**साथ अल्पसंख्यक शेयरधारकों द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री अधिनियम की धारा **147** के तहत कार्रवाई करने का आधार बनती है। नोटिस जारी करने के चरण में**,** मूल्यांकन अधिकारी को केवल प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण तैयार करना होता है।बाद के वर्षों के लिए मूल्यांकन कार्यवाही में प्रकट की गई सामग्री इस तरह का दृष्टिकोण बनाने के लिए पर्याप्त थी।तदनुसार**,** यह मानने के कारण थे कि इस मामले में आय निर्धारण से बच गई थी।**[**पैरा **23] [664-**ई**-**एफ**]**

क्लैगेट ब्राची कंपनी लिमिटेड**,** लंदन बनाम आयकर आयुक्त**,** आंध्र प्रदेश **(1989) 2** पूरक।एस**.** सी**.** सी **182:[1989] 2** एस**.** सी**.** आर**. 731;** मेसर्स फूल चंद बजरंग लाल और एक अन्य बनाम आयकर अधिकारी और एक अन्य **(1993)**

ग

4 एससीसी 77:[1993] 1 पूरक एस. सी. आर. 28; एस. के.

इंजीनियरिंग कं. (पी) लिमिटेड बनामआय आयुक्त

डी.

कर, अमृतसर (2001) 10 एस. सी. सी. 189-पर निर्भर था।

क्या निर्धारिती की ओर से सभी प्रासंगिक तथ्यों का पूर्ण और सही खुलासा करने में विफलता थी।

2.1 निर्धारिती ने उन सभी तथ्यों का खुलासा किया था जो वह प्रकट करने के लिए बाध्य था।यदि राजस्व उस स्तर पर मामले की आगे की जांच करना चाहता तो वह आसानी से निर्धारिती को अधिक तथ्य प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता था। निर्धारिती ने एन**.** एन**.** पी**.** एल**.** सी**.** द्वारा लेन**-**देन के लिए गारंटी देने के लिए सहमत होने के बारे में खुलासा किया और इसने परिवर्तनीय बांड जारी करने और उनके मोचन के तथ्य का भी खुलासा किया था।आय**,** यदि कोई हो**,** रियायती मूल्य पर मोचन के कारण उत्पन्न हुई।यह एक ऐसी घटना थी जो विचाराधीन मूल्यांकन वर्ष के बाद हुई थी**,** हालांकि यह मूल्यांकन वर्ष के लिए आय हो सकती है।सभी प्रासंगिक तथ्य उचित रूप से मूल्यांकन अधिकारी की जानकारी में थे।आकलन अधिकारी को पता था कि वे संस्थाएं कौन थीं जिन्होंने अन्य परिवर्तनीय बांडों की सदस्यता ली थी और सहायक कंपनियों से संबंधित अन्य कार्यवाहियों में एक ही आकलन अधिकारी को पते और प्रत्येक बांडधारकों द्वारा भुगतान किए गए प्रतिफल की जानकारी थी जैसा कि मेसर्स एनडीटीवी लैब्स लिमिटेड और मेसर्स एनडीटीवी लाइफस्टाइल लिमिटेड के मामलों में पारित किए गए मूल्यांकन आदेशों से स्पष्ट है। इसलिए**,** सभी सामग्री का पूर्ण और सही खुलासा किया गया था

ई.

च

जी.

एच.

652 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 7 एस. सी. आर.

निर्धारिती द्वारा इसके मूल्यांकन के लिए आवश्यक तथ्य।इस तथ्य का खुलासा किया गया कि एन**.** एन**.** पी**.** एल**.** सी**.** द्वारा **10** करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्टेप**-**अप कूपन बॉन्ड जारी किए गए थे**;** बॉन्ड की सदस्यता लेने वाली संस्थाएं कौन थीं**,** इसका खुलासा किया गया था**;** और इस तथ्य का भी खुलासा किया गया था कि मूल्यांकन को अंतिम रूप देने से पहले बॉन्ड को कम दर पर छूट दी गई थी।इस लेन**-**देन को निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया था और यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि निर्धारिती केवल उसी पर गारंटी शुल्क प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी था जो उसकी आय में जोड़ा गया था।यह नहीं कहा जा सकता है कि निर्धारिती ने राजस्व से किसी भी भौतिक जानकारी को रोक दिया था।**[**पारस **26,28,29] [665-**डी**-**ई**,** एच**; 666-**ए**-**ई**]**

ग

मेसर्स फूल चंद बजरंग लाल और एक अन्य बनाम आय

कर अधिकारी और एक अन्य (1993) 4 एस. सी. सी. 77:[1993] 1

पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 28;** होंडा सीएल पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम उपायुक्त आयकर और अन्य **(2012)**

340 आई**.** टी**.** आर**. 53 (**दिल्ली**)-**संदर्भित।

डी.

2.2 राजस्व के अनुसार**,** निर्धारिती ने अपनी सहायक कंपनियों के धन के वास्तविक स्रोत का पता लगाने से बचने के लिए अपने अंतिम खातों**,** तुलनपत्रों और प्रासंगिक अवधि के लिए लाभ और हानि खाते में सहायक कंपनियों के विवरण का खुलासा नहीं किया**,** जैसा कि भारतीय कंपनी अधिनियम**, 1956** के प्रावधानों के तहत अनिवार्य था।यह विवादित नहीं है कि निर्धारिती ने कंपनी अधिनियम**, 1956** के तहत सक्षम प्राधिकारी से अपने अंतिम खातों**,** तुलनपत्रों आदि में इस तरह के विवरण प्रदान करने से छूट प्राप्त की थी। इस प्रकार**,** यह नहीं कहा जा सकता है कि निर्धारिती निर्धारण अधिकारी को इसका

खुलासा करने के लिए बाध्य था।आकलन अधिकारी ने **03.08.2012** के मूल्यांकन को अंतिम रूप देने से पहले कभी भी निर्धारिती से विवरण प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा था।इस स्तर पर निर्धारण अधिकारी को यह तय करना था कि मामले के तथ्यों से क्या निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए।तत्काल मामले में**,** निर्धारण अधिकारी ने उसे बताए गए तथ्यों के आधार पर निर्धारिती द्वारा किए गए लेन**-**देन की वास्तविकता पर संदेह नहीं किया।यह आकलन अधिकारी उन तथ्यों के आधार पर उस स्तर पर भी कर सकता था जो वह पहले से ही जानता था।**[**पारस **30,33] [666-**एफ**-**जी**; 669-**ई**-**एफ**]**

ई.

च

जी.

कलकत्ता डिस्काउंट कंपनी लिमिटेड बनामआय-कर अधिकारी, कंपनी जिला I, कलकत्ता और एक अन्य आकाशवाणी 1961

एससी **372:[1961] 2** एस**.** सी**.** आर**. 241-**अनुसरण किया गया।

एच.

653

नई दिल्ली टीवी लिमिटेड बनामआय कर विभाग के आयुक्त ए

क.

3.1 नोटिस यू/एस।**148** दूसरे परंतुक के संबंध में स्पष्ट रूप से चुप है।**147.** यह दूसरे परंतुक पर निर्भर नहीं है और मूल रूप से अधिनियम की धारा **148** के प्रावधान पर निर्भर करता है। **04.08.2015** पर निर्धारिती को बताए गए कारणों में 'विश्वास करने का कारण' और निर्धारिती द्वारा भौतिक तथ्यों का खुलासा न करने का उल्लेख है।दूसरे परंतुक के संबंध में या तो नोटिस में या नोटिस के संबंध में **04.08.2015** पर दिए गए कारणों में भी कोई मामला स्थापित नहीं किया गया है। निर्धारिती की आपत्तियों को अस्वीकार करते समय ही आपत्तियों के निपटारे के क्रम में दूसरे परंतुक का उल्लेख किया गया है। **[**पैरा **38] [671-**डी**-**ई**]**

ग

मोहिंदर सिंह गिल और अन्र बनाममुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली और अन्य। [1978] 2 एससीआर 272 -

संदर्भित किया गया।

3.2 यदि राजस्व को दूसरे परंतुक पर भरोसा करना है और यह आग्रह करना चाहता है कि **16** वर्ष की सीमा लागू होगी**,** तो नोटिस में या कम से कम नोटिस के समर्थन में कारणों में**,** निर्धारिती को ध्यान में रखा जाना चाहिए था कि राजस्व दूसरे परंतुक पर निर्भर करता है।निर्धारिती अपनी आपत्तियों की अस्वीकृति के स्तर पर या उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के स्तर पर आश्चर्यचकित नहीं हो सका कि नोटिस को अधिनियम की धारा **147** के दूसरे परंतुक के प्रावधानों को लागू करने वाले नोटिस के रूप में माना जाना है। इसलिए इस स्तर पर राजस्व को दूसरे परंतुक का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।**[**पैरा **43] [672-**जी**-**एच**; 673-**ए**]**

डी.

ई.

निर्णीत विधि संदर्भ

[1989] 2 एससीआर **731**

पर भरोसा किया

पैरा **21**

च

[1993] 1 पूरक एस**.** सी**.** आर**. 28** पर निर्भर था

पैरा **21**

(2001) 10 एससीसी **189**

पर भरोसा किया

पैरा **21 (2012) 340** आई**.** टी**.** आर**. 53 (**दिल्ली**)** पैरा **27 [1961] 2** एस**.** सी**.** आर**. 241**

पैरा **32 [1978] 2** एस**.** सी**.** आर**. 272** पैरा **39** में निर्दिष्ट है।

जी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयःसिविल अपील No.1008

2020.

2015 की रिट याचिका (सिविल) No.11638 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 10.08.2017 के निर्णय और आदेश से।

एच.

654

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 7 एस सी आर।

अरविंद पी. दातार, वरिष्ठ अधिवक्ता, सचित जॉली, सुश्री अनुराधा दत्त, रोहित गर्ग, सुश्री बी. विजयलक्ष्मी मेनन, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

तुषार मेहता, एस. जी., अरिजीत प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता, जोहेब हुसैन, रजत नायर, पीयूष गोयल, श्रीमती अनिल कटियार, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दीपाक गुप्ता**,** जे।

1. अपीलार्थी नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड (इसके बाद 'निर्धारिती' के रूप में संदर्भित) एक भारतीय कंपनी है जो विभिन्न प्रकार के टेलीविजन चैनल चलाने में लगी हुई है।इसकी विभिन्न विदेशी सहायक कंपनियां हैं जिनका हम बाद में विस्तार से उल्लेख करेंगे, लेकिन हम मुख्य रूप से यूनाइटेड किंगडम (यू. के.) में स्थित एन. डी. टी. वी. नेटवर्क पी. एल. सी., यू. के. (इसके बाद 'एन. एन. पी. एल. सी.' के रूप में संदर्भित) नामक सहायक कंपनी से संबंधित हैं।

ग

2. निर्धारिती ने वित्तीय वर्ष 2007-08 यानी निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए 29.09.2008 पर नुकसान घोषित करते हुए विवरणी प्रस्तुत की।इस विवरणी को आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 143 के तहत संसाधित किया गया था।मामले को जांच के लिए चुना गया था और अधिनियम की धारा 143 (2) के तहत नोटिस जारी किया गया था और अधिनियम की धारा 142 (1) के तहत एक नोटिस भी निर्धारिती को भेजा गया था।इसके बाद, निर्धारिती के मामले पर विचार किया गया और अंतिम मूल्यांकन आदेश 03.08.2012 पर पारित किया गया।

डी.

ई.

3. हम मुख्य रूप से मूल्यांकन आदेश के उस हिस्से से संबंधित हैं जो 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्टेप-अप कूपन बांड जारी करने से संबंधित है।ये बॉन्ड जुलाई, 2007 में बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के माध्यम से 5 साल की अवधि के लिए जारी किए गए थे। निर्धारिती का मामला यह है कि एन. एन. पी. एल. सी. ने 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्टेप-अप कूपन बांड जारी किए, जिनकी व्यवस्था जेफ्रीज इंटरनेशनल ने की थी और एन. एन. पी. एल. सी. को बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के माध्यम से धन प्राप्त हुआ था।निर्धारिती ने इस लेन-देन के लिए निगमित गारंटी देने पर सहमति व्यक्त की थी।इन बॉन्डों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा अभिदान किया गया था, जिनका हम बाद में विस्तार से उल्लेख करेंगे।इन बॉन्डों को 5 साल की अवधि समाप्त होने के बाद 7.5 प्रतिशत के प्रीमियम पर भुनाया जाना था।हालाँकि, इन बॉन्डों को नवंबर, 2009 में 74.2 लाख अमेरिकी डॉलर के रियायती मूल्य पर अग्रिम रूप से भुनाया गया था।

च

जी.

4. आकलन अधिकारी ने कहा कि एन. एन. पी. एल. सी. का वस्तुतः कोई वित्तीय मूल्य नहीं था, इसका नाम का कोई व्यवसाय नहीं था और इसलिए यह विश्वास नहीं किया जा सकता था कि यह 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर के परिवर्तनीय बांड जारी कर सकता था, जब तक कि ब्याज के साथ पुनर्भुगतान सुरक्षित नहीं था।यह ए सुरक्षित किया गया था

एच.

655

नई दिल्ली टीवी लिमिटेड बनामआय कर विभाग के आयुक्त [दीपक गुप्ता, जे.] ए.

केवल इसलिए कि निर्धारिती इस संबंध में गारंटी देने के लिए सहमत है।यद्यपि निर्धारिती ने वास्तव में ऐसी गारंटी कभी जारी नहीं की थी, लेकिन निर्धारण अधिकारी का विचार था कि निर्धारिती की सहायक कंपनी निर्धारिती से इस आश्वासन के बिना इतनी बड़ी राशि नहीं जुटा सकती थी।लेन-देन ऐसी प्रकृति का था कि निर्धारिती को अपनी सहायक कंपनी से एक हाथ की लंबाई बनाए रखने की आवश्यकता होनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि इसे किसी अन्य कॉर्पोरेट इकाई के पक्ष में किसी भी कॉर्पोरेट गारंटर द्वारा जारी की गई गारंटी की तरह माना जाना चाहिए।आकलन अधिकारी ने लेन-देन की वैधता पर संदेह नहीं किया, लेकिन इसे एक व्यावसायिक लेनदेन के रूप में मानते हुए 4.68% की दर पर गारंटी शुल्क लगाया और रुपये जोड़े। निर्धारिती की आय के लिए 18.72 करोड़, दिनांकित 03.08.2012 आदेश के माध्यम से।

ग

5. 31.03.2015 पर, राजस्व ने निर्धारिती को एक नोटिस भेजा जिसमें कहा गया था कि प्राधिकरण के पास यह मानने का कारण है कि निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए कर के लिए प्रभार्य शुद्ध आय अधिनियम की धारा 148 के अर्थ के भीतर मूल्यांकन से बच गई थी। इस नोटिस में कोई कारण नहीं बताया गया है।निर्धारिती ने तब कारण पूछे और उसके बाद 04.08.2015 कारणों की जानकारी दी गई।इसका मुख्य कारण यह बताया गया कि अगले मूल्यांकन वर्ष यानी मूल्यांकन वर्ष 2009-10 में, मूल्यांकन अधिकारी ने निर्धारिती द्वारा अपनी सहायक कंपनियों NDTV BV, द नीदरलैंड, NDTV नेटवर्क BV, द नीदरलैंड (NNBV), NDTV नेटवर्क इंटरनेशनल होल्डिंग्स BV, द नीदरलैंड (NNIH) और NNPLC के माध्यम से जुटाए गए धन के कारण निर्धारिती के खाते में Rs.642 करोड़ रुपये के पर्याप्त जोड़ का प्रस्ताव दिया था। निर्धारिती ने विवाद समाधान पैनल (डी. आर. पी.) के समक्ष अपनी आपत्ति जताई थी, जो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नीदरलैंड में सहायक कंपनियों के साथ ये सभी लेनदेन नकली और फर्जी थे और ये लेनदेन अघोषित आय प्राप्त करने के उद्देश्य से किए गए थे, जिसके लिए कर का भुगतान नहीं किया गया था।

डी.

ई.

च

6. आकलन अधिकारी डी. आर. पी. के आदेश पर भरोसा करता है कि यह मानने का कारण है कि एन. एन. पी. एल. सी. द्वारा प्राप्त धन वास्तव में निर्धारिती का धन था।यह निर्दिष्ट किया गया था कि एन. एन. पी. एल. सी. की पूंजी केवल Rs.40 लाख थी।यूनाइटेड किंगडम में डाक पते के अलावा इसकी कोई व्यावसायिक गतिविधियाँ नहीं थीं।इसलिए, मूल्यांकन अधिकारी को यह प्रतीत हुआ कि किसी के लिए भी वस्तुतः गैर-कार्यशील कंपनी में 10 करोड़ डॉलर का इतना बड़ा निवेश करना और उसके बाद अपने मूल निवेश का केवल 72 प्रतिशत वापस प्राप्त करना अस्वाभाविक था।के अनुसार

जी.

एच.

656 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 7 एस. सी. आर.

आकलन अधिकारी ने कहा, "स्वाभाविक निष्कर्ष यह हो सकता है कि यह एन. डी. टी. वी. का अपना कोष था जिसे एन. एन. पी. एल. सी. में आरोपित लोगों के कब्जे में लाया गया था।

बंधन।" इस संचार में निवेशकों का विवरण कारण बताते हुए दिया गया है।एक अल्पांश शेयरधारक से प्राप्त शिकायतों का भी उल्लेख किया गया है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि एन. एन. पी. एल. सी. में पेश किए गए धन को मॉरीशस में निर्धारिती की एक अन्य सहायक कंपनी में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहाँ से इसे मुंबई में निर्धारिती की सहायक कंपनी में और अंत में निर्धारिती को ले जाया गया था।एन. एन. पी. एल. सी. को ही 28.03.2011 पर परिसमापन के तहत रखा गया था। इसलिए, मूल्यांकन अधिकारी की राय थी कि यह मानने के कारण थे कि एन. एन. पी. एल. सी. द्वारा प्राप्त धन एक नकली लेनदेन के तहत निर्धारिती का धन था और रु. आकलन वर्ष 2008-09 के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान एन. एन. पी. एल. सी. की बही में पेश किए गए 405.09 करोड़ रुपये, निर्धारिती से संबंधित स्टेप-अप कूपन परिवर्तनीय बांड से जुड़े लेनदेन के माध्यम से।संचार का अंतिम भाग डी. टी.04.08.2015 निर्धारिती को कारण बताते हुए कहा गया है:- - प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

"7. मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और डी. आर. पी. के निष्कर्षों पर विचार करते हुए एन. एन. पी. एल. सी. द्वारा प्राप्त धन को नकली लेनदेन के तहत नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड के धन के रूप में रखने का एक कारण है। वित्तीय वर्ष के दौरान स्टेप अप कूपन बॉन्ड के रूप में एन. एन. पी. एल. सी. की पुस्तकों में पेश किए गए 405.09 करोड़ केवल निर्धारिती नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड से संबंधित हैं।इसलिए मेरे पास यह मानने का कारण है कि ए. वाई. 2008-09 के लिए निर्धारिती नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड की आय कम से कम रु। 405.09 करोड़ मूल्यांकन से बच गए हैं।यह भी दर्ज किया गया है कि पलायन निर्धारिती की ओर से मूल्यांकन के लिए पूरी तरह से और सही मायने में सभी तथ्यों का खुलासा करने में विफलता के कारण है।"7. निर्धारिती ने नोटिस और दिए गए कारणों का जवाब दाखिल किया और दावा किया कि मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक सभी भौतिक तथ्यों को पूरी तरह से और सही मायने में प्रकट करने में निर्धारिती की ओर से कोई विफलता नहीं हुई है।निर्धारिती ने यह भी दावा किया कि कार्यवाही केवल राय बदलने पर शुरू की गई थी और इस पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं था।निर्धारिती ने यह भी दावा किया कि स्टेप-अप बॉन्ड का लेनदेन एक कानूनी और वैध लेनदेन था।इसके अलावा, यह दावा किया गया कि निर्धारण अधिकारी के पास यह मानने का कोई वैध कारण नहीं था कि निर्धारिती की आय निर्धारण से बच गई थी।निर्धारिती के अनुसार मूल्यांकन अधिकारी ने लेन-देन की वास्तविकता को स्वीकार किया था जिसमें एनएनपीएलसी, ए

डी.

ई.

च

जी.

एच.

नई दिल्ली टीवी लिमिटेड बनामआय कर विभाग के आयुक्त [दीपक गुप्ता, जे.] ए.

सहायक ने परिवर्तनीय बांड जारी किए थे जिन्हें कई संस्थाओं द्वारा अभिदान किया गया था।यह आग्रह किया गया कि मूल्यांकन अधिकारी ने गारंटी शुल्क लगाकर और इसे निर्धारिती की आय में वापस जोड़कर लेनदेन को वास्तविक माना था।वैकल्पिक रूप से, यह प्रस्तुत किया गया था कि नोटिस 4 साल की सीमा की अवधि से परे जारी किया गया था।निर्धारिती के अनुसार उसने किसी भी भौतिक तथ्य को नहीं रोका था और इसलिए, धारा 147 के पहले परंतुक पर लागू 6 साल की सीमा लागू नहीं होगी।

8. मूल्यांकन अधिकारी ने इन आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया।निर्धारिती के दावे का निपटान निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से किया गया था जिसमें निर्धारण अधिकारी ने कहा था कि निर्धारिती द्वारा भौतिक तथ्यों का खुलासा नहीं किया गया था और नोटिस सीमा के भीतर होगा क्योंकि एन. एन. पी. एल. सी. एक विदेशी इकाई थी और निश्चित रूप से निर्धारिती की एक सहायक कंपनी थी और आय इस विदेशी इकाई के माध्यम से प्राप्त की जा रही थी।अतः निर्धारिती का मामला अधिनियम की धारा 147 के दूसरे प्रावधान के अंतर्गत आएगा और 16 वर्ष की विस्तारित अवधि लागू होगी।तदनुसार आपत्तियों को खारिज कर दिया गया।9. पीड़ित याचिकाकर्ता ने नोटिस को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की।रिट याचिका को 10.08.2017 पर खारिज कर दिया गया था।इसके खिलाफ निर्धारिती ने वर्तमान अपील दायर की है।

ग

डी.

10. हमने निर्धारिती के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अरविंद पी. दातार, विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता और राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री जोहेब हुसैन को सुना है।

ई.

11. हमारी राय में, इस मामले में विचार के लिए निम्नलिखित मुद्दे उत्पन्न होते हैंः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

(i) क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह कहा जा सकता है कि राजस्व के पास यह मानने का एक वैध कारण था कि अघोषित आय निर्धारण से बच गई थी?

च

((ii) क्या निर्धारिती ने मूल मूल्यांकन के दौरान पूरी तरह से और सही मायने में सभी भौतिक तथ्यों का खुलासा नहीं किया, जिसके कारण मूल्यांकन आदेश को अंतिम रूप दिया गया और अघोषित आय का पता नहीं चल सका?

जी.

(iii) क्या आई. डी. 1 पर बताए गए कारणों के साथ आई. डी. 2 की तारीख वाले नोटिस को अधिनियम की धारा 147 के दूसरे परंतुक के प्रावधानों को लागू करने वाला नोटिस कहा जा सकता है?

एच.

12. शुरुआत में हम यह नोट कर सकते हैं कि निर्धारिती की ओर से यह पुरजोर आग्रह किया गया है कि इसका मूल्यांकन जांच प्रक्रिया के तहत किया गया था और मूल मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान एक बहुत ही विस्तृत प्रक्रिया का पालन किया गया था और मामले के सभी पहलुओं को मूल्यांकन अधिकारी द्वारा नोट किया गया था।यह सच हो सकता है, लेकिन केवल यह तथ्य कि मूल मूल्यांकन एक विस्तृत है, अधिनियम की धारा 147 के तहत नोटिस जारी करने के लिए मूल्यांकन अधिकारी की शक्तियों को नहीं छीन सकता है।

प्रश्न संख्या **1**

13. हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि हम निर्धारिती के खिलाफ लगाए गए आरोपों के गुण-दोष में नहीं जा रहे हैं।इस स्तर पर हमें केवल यह तय करने की आवश्यकता है कि क्या राजस्व के पास यह मानने के लिए पर्याप्त कारण हैं कि अभिदाता की अघोषित आय मूल्यांकन से बच गई है और इसलिए नोटिस जारी करने के लिए आधार हैं।जाहिर है, मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान निर्धारिती को यह दिखाने के लिए सामग्री को रिकॉर्ड पर रखने का अधिकार होगा कि विचाराधीन लेनदेन एक वास्तविक लेनदेन था।

ग

डी.

14. यह सामान्य कानून है कि एक मूल्यांकन अधिकारी केवल तभी मूल्यांकन को फिर से खोल सकता है जब उसके पास यह 'विश्वास करने का कारण' हो कि अघोषित आय मूल्यांकन से बच गई है।केवल मूल्यांकन अधिकारी की राय में परिवर्तन 'विश्वास करने के कारण' के मानक को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।धारा 147 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

147. मूल्यांकन से बचने वाली आय।-यदि मूल्यांकन

अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कर के लिए प्रभार्य कोई भी आय किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण से बच गई है, वह धारा 148 से 153 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए ऐसी आय और कर के लिए प्रभार्य किसी अन्य आय का आकलन या पुनर्मूल्यांकन कर सकता है जो निर्धारण से बच गई है और जो इस धारा के तहत कार्यवाही के दौरान बाद में उसके संज्ञान में आती है, या संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए नुकसान या मूल्यह्रास भत्ता या किसी अन्य भत्ते की पुनः गणना कर सकता है (इसके बाद इस धारा में और धारा 148 से 153 में प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के रूप में संदर्भित):

च

जी.

बशर्ते कि जहां धारा 143 की उप-धारा (3) या इस धारा के तहत सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए कोई निर्धारण किया गया है, वहां संबंधित निर्धारण वर्ष की समाप्ति से चार साल की समाप्ति के बाद इस धारा के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक कि कर के लिए प्रभार्य कोई भी आय निर्धारण ए से बच न जाए।

एच.

659

नई दिल्ली टीवी लिमिटेड बनामआय कर विभाग के आयुक्त [दीपक गुप्ता, जे.] ए.

ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती की ओर से धारा 139 के तहत विवरणी देने में विफलता के कारण या धारा 142 या धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत जारी किए गए नोटिस के जवाब में या उस निर्धारण वर्ष के लिए अपने निर्धारण के लिए आवश्यक सभी भौतिक तथ्यों को पूरी तरह से और सही मायने में प्रकट करने के कारणः

बशर्ते कि पहले परंतुक में निहित कुछ भी उस मामले में लागू नहीं होगा जहां भारत के बाहर स्थित किसी संपत्ति (किसी भी इकाई में वित्तीय हित सहित) के संबंध में कोई आय, जो कर के लिए प्रभार्य है, किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण से बच गई हैः

बशर्ते कि निर्धारण अधिकारी आय से जुड़े मामलों के अलावा ऐसी आय का आकलन या पुनर्मूल्यांकन कर सकता है, जो किसी भी अपील, संदर्भ या संशोधन का विषय है, जो कर के लिए प्रभार्य है और निर्धारण से बच गया है।

ग

स्पष्टीकरण 1.—निर्धारण अधिकारी के समक्ष लेखा पुस्तकों या अन्य साक्ष्यों को प्रस्तुत करना, जिनसे निर्धारण अधिकारी द्वारा उचित परिश्रम के साथ भौतिक साक्ष्य का पता लगाया जा सकता है, आवश्यक रूप से पूर्वगामी परंतुक के अर्थ के भीतर प्रकटीकरण के बराबर नहीं होगा।

डी.

स्पष्टीकरण 2.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित मामले भी माने जाएंगे जहां कर के लिए प्रभार्य आय निर्धारण से बच गई है, अर्थात्:—

ई.

(क) जहाँ निर्धारिती द्वारा आय की कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है, यद्यपि उसकी कुल आय या किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय, जिसके संबंध में वह पिछले वर्ष के दौरान इस अधिनियम के तहत निर्धारणीय है, अधिकतम राशि से अधिक है जो आय-कर के लिए प्रभार्य नहीं है;

च

(ख) जहां निर्धारिती द्वारा आय की विवरणी प्रस्तुत की गई है, लेकिन कोई आकलन नहीं किया गया है और निर्धारण अधिकारी द्वारा यह देखा जाता है कि निर्धारिती ने आय को कम कर दिया है या विवरणी में अत्यधिक नुकसान, कटौती, भत्ता या राहत का दावा किया है;

जी.

((ख) जहां निर्धारिती किसी भी अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहा है, जिसकी उसे धारा 92 ई के तहत आवश्यकता थी;

एच.

((ग) जहां निर्धारण किया गया है, लेकिन-(i) कर के लिए प्रभार्य आय का कम आकलन किया गया है; या

((ख) ऐसी आय का निर्धारण बहुत कम दर पर किया गया है; या

((ग) ऐसी आय को इस अधिनियम के तहत अत्यधिक राहत का विषय बनाया गया है; या

((iv) इस अधिनियम के तहत अत्यधिक हानि या मूल्यह्रास भत्ता या किसी अन्य भत्ते की गणना की गई है।

((ग) जहां निर्धारिती द्वारा आय विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है या उसके द्वारा आय विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है और धारा 133 ग की उप-धारा (2) के तहत निर्धारित आय-कर प्राधिकारी से प्राप्त जानकारी या दस्तावेज के आधार पर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह देखा जाता है कि निर्धारिती की आय अधिकतम राशि से अधिक है जो कर के लिए प्रभार्य नहीं है, या जैसा भी मामला हो, निर्धारिती ने आय को कम कर दिया है या विवरणी में अत्यधिक नुकसान, कटौती, भत्ता या राहत का दावा किया है;

डी.

ई.

((घ) जहाँ किसी व्यक्ति के पास भारत के बाहर स्थित कोई संपत्ति (किसी भी संस्था में वित्तीय हित सहित) पाई जाती है। XXX XXX XXX 15।निर्धारिती का मामला यह है कि मूल्यांकन अधिकारी द्वारा दिनांक 03.08.2012 के मूल्यांकन आदेश को पारित करने से पहले स्टेप-अप कूपन बॉन्ड के लेनदेन की बहुत विस्तार से जांच की गई थी।निर्धारिती के अनुसार राजस्व की ओर से ब्रिटेन की सहायक कंपनी के साथ नीदरलैंड की सहायक कंपनी से संबंधित लेनदेन को जानबूझकर मिलाने का प्रयास किया गया है।निर्धारिती के अनुसार मूल्यांकन वर्ष 2009-10 के लिए डी. आर. पी. का क्रम दो अलग-अलग खंडों में है। जबकि डी. आर. पी. ने नीदरलैंड के Rs.642 करोड़ के लेनदेन को एक दिखावा माना, 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर के परिवर्तनीय बांड जारी करने के लेनदेन पर सवाल नहीं उठाया गया।इसलिए, निर्धारिती के अनुसार निर्धारण अधिकारी के समक्ष यह मानने के लिए कोई नई सामग्री नहीं थी कि निर्धारिती की अघोषित आय निर्धारण से बच गई थी।

च

जी.

एच.

661

नई दिल्ली टीवी लिमिटेड बनामआय कर विभाग के आयुक्त [दीपक गुप्ता, जे.] ए.

क.

16. निर्धारिती की ओर से यह आग्रह किया गया है कि एक बार जब स्टेप-अप कूपन बॉन्ड का लेन-देन सही माना जाता है, तो राजस्व उसे फिर से नहीं खोल सकता है और लेनदेन की वास्तविकता पर संदेह नहीं कर सकता है।हम प्रस्तुतिकरण के पहले भाग से सहमत नहीं हैं, लेकिन हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम लेन-देन की वास्तविकता पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, जिस पर संबंधित मूल्यांकन अधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा।

17. दूसरी ओर, राजस्व की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि कारणदर्शक नोटिस जारी करने के चरण में राजस्व को केवल एक अस्थायी और प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण स्थापित करना होता है।इस स्तर पर, इस न्यायालय से मामले के गुण-दोष में जाने की उम्मीद नहीं है, लेकिन केवल यह पता लगा सकता है कि क्या राजस्व के पास यह दिखाने के लिए प्रथम दृष्टया आधार है कि उसके पास यह मानने के कारण थे कि आय मूल्यांकन से बच गई है।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है।यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि राजस्व ने 03.08.2012 के मूल्यांकन आदेश के बाद नई ठोस सामग्री की खोज की, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि मूल्यांकन अधिकारी के पास यह मानने का कोई कारण नहीं था कि आय मूल्यांकन से बच गई थी।

ग

डी.

18. मुख्य मुद्दा यह है कि क्या मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष यह प्रथम दृष्टया देखने के लिए पर्याप्त सामग्री थी कि निर्धारिती की आय मूल्यांकन से बच गई थी।मूल्यांकन का मूल आदेश 03.08.2012 पर पारित किया गया था।इसके बाद 31.12.2013 पर ही ए. वाई. 2009-10 के मामले में डी. आर. पी. ने निर्धारिती और उसकी सहायक कंपनियों के निगमित ढांचे के संबंध में संदेह उठाए।डी. आर. पी. के आदेश में यह उल्लेख किया गया था कि एन. एन. पी. एल. सी. के कुछ शेयरों का अधिग्रहण यूनिवर्सल स्टूडियो इंटरनेशनल बी. वी., नीदरलैंड द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एन. एन. आई. एच. के शेयरों की सदस्यता लेकर

किया गया था। जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है कि यह 04.08.2015 पर बताए गए कारणों में दर्ज किया गया था कि एन. एन. पी. एल. सी. की लंदन में कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं थी।उसके पास कोई अचल संपत्ति नहीं थी और वह किराया भी नहीं दे रहा था।इस तथ्य के अलावा कि एन. एन. पी. एल. सी. को यू. के. में शामिल किया गया था, वहाँ इसका कोई अन्य वाणिज्यिक व्यवसाय नहीं था।एन. एन. पी. एल. सी. ने एक करोड़ रुपये के नुकसान की घोषणा की थी। संबंधित वर्ष के लिए 8 करोड़ 34 लाख रुपये।आकलन अधिकारी के आदेश से यह भी पता चला कि निर्धारिती एन. एन. पी. एल. सी. की मूल कंपनी है और यह निर्धारिती के आदेश हैं जो एन. एन. पी. एल. सी. को चलाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

ई.

च

जी.

19. डी. आर. पी. के निर्देशों के अनुसार, मूल्यांकन अधिकारी ने 21.02.2014 पर ए. वाई. 2009-10 के लिए अंतिम मूल्यांकन आदेश पारित किया, जिसमें भी इसी तरह के तथ्यों का खुलासा किया गया।

एच.

20. राजस्व कर चोरी याचिकाओं के अनुसार निर्धारिती कंपनी के अल्पांश शेयरधारकों द्वारा विभिन्न तिथियों पर दायर किए गए थे, अर्थात, 11.03.2014,25.07.2014,13.10.2014 और 11.03.2015, जो शिकायतें निर्धारिती और सहायक कंपनियों के बीच संचार का विस्तार से वर्णन करती हैं और कथित रूप से सहायक कंपनियों की एक परत के माध्यम से निर्धारिती की अघोषित आय के राउंड ट्रिपिंग के सबूत भी दिखाती हैं, जिसके कारण प्रश्न में नोटिस जारी किया गया।

21. संबंधित वर्ष के लिए मूल्यांकन कार्यवाही के बाद मूल्यांकन अधिकारी के संज्ञान में आने वाले तथ्यों को पूरा किया गया था या नहीं, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विचार किया जा सकता है कि यह मानने के कारण थे कि आय मूल्यांकन से बच गई थी, इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना आवश्यक है।हालाँकि इस संबंध में कई निर्णयों का उल्लेख किया गया है, हम इनका संदर्भ देंगे -

ग

केवल कुछ ही।क्लैगेट ब्राची कंपनी लिमिटेड, लंदन बनाम आयकर आयुक्त, आंध्र प्रदेश 1 में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“7. निर्धारिती के विद्वान वकील द्वारा हमारे सामने दो बिंदुओं का आग्रह किया गया है।यह तर्क दिया जाता है कि आयकर अधिकारी के पास आयकर अधिनियम की धारा 147 और 148 के तहत कार्यवाही करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि पुनर्मूल्यांकन करने के लिए शर्तों को पूरा नहीं किया गया था।अधिनियम की धारा 147 के खंड (बी) के संदर्भ में पुनर्मूल्यांकन किए गए थे और जाहिर तौर पर आयकर अधिकारी इस आधार पर आगे बढ़े कि उनके पास मौजूद जानकारी के परिणामस्वरूप उनके पास यह विश्वास करने का कारण था कि कर के लिए प्रभार्य आय दो निर्धारण वर्षों के लिए निर्धारण से बच गई थी।हमारे सामने मौजूद सामग्री से ऐसा प्रतीत होता है कि आयकर अधिकारी को एहसास हुआ कि आय दो निर्धारण वर्षों के लिए निर्धारण से बच गई थी जब वह बाद के निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण करने की प्रक्रिया में था।उस मूल्यांकन को करते समय उन्हें उस मूल्यांकन से संबंधित दस्तावेजों से पता चला कि कमीशन एजेंट के रूप में व्यवसाय सहित पूरे व्यवसाय से संबंधित ओवरहेड खर्च और खरीद और बिक्री के व्यवसाय तक ही सीमित नहीं थे।यह सच है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने कहा है कि यह जानकारी आयकर अधिकारी द्वारा प्राप्त की जा सकती थी यदि उसने मूल मूल्यांकन के समय ही उचित परिश्रम किया होता।हालाँकि, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि आयकर अधिकारी का ध्यान उनसे पहले की किसी भी चीज़ से निर्देशित था

डी.

ई.

च

जी.

1 1989 पूरक (2) एस. सी. सी. 182 ए

एच.

663

नई दिल्ली टीवी लिमिटेड बनामआय कर विभाग के आयुक्त [दीपक गुप्ता, जे.] ए.

इस तथ्य के लिए कि ओवरहेड खर्च पूरे व्यवसाय से संबंधित हैं।आयकर अधिकारी द्वारा प्राप्त जानकारी स्पष्ट रूप से बाद के वर्ष के लिए मूल्यांकन कार्यवाही करते समय उनके कब्जे में आई।इन परिस्थितियों में, इस बात पर संदेह नहीं किया जा सकता है कि मामला अधिनियम की धारा 147 के खंड (बी) की शर्तों के भीतर आता है, और इसलिए, उच्च न्यायालय निर्धारिती के खिलाफ निर्णय लेने में सही है।"

मेसर्स फूल चंद बजरंग लाल और एक अन्य बनाम आय में

कर अधिकारी और अन्य 2, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः- " 19 ...मूल मूल्यांकन के समय निर्धारिती द्वारा दिए गए कथन के झूठ को उजागर करने वाले निष्कर्षित मूल्यांकन से संबंधित विशिष्ट और विश्वसनीय प्रकृति की नई जानकारी प्राप्त करना उन तथ्यों और सामग्री से एक नया निष्कर्ष निकालने से अलग है जो मूल मूल्यांकन कार्यवाही के समय आई. टी. ओ. के पास उपलब्ध थे।दोनों स्थितियाँ अलग और अलग हैं।इस प्रकार, जहां बाद की जानकारी के आधार पर लेन-देन ही एक फर्जी लेन-देन पाया जाता है, मूल मूल्यांकन कार्यवाही के समय उस लेनदेन का केवल खुलासा ही मामले में "सही" और "पूर्ण" तथ्यों का खुलासा नहीं कहा जा सकता है और ऐसे मामले में आई. टी. ओ. के पास निष्कर्षित मूल्यांकन को फिर से खोलने का अधिकार क्षेत्र होगा।यह सही है कि निर्धारण प्राधिकरण ऋण लेन-देन की वास्तविकता की आगे की जांच और जांच के लिए मूल मूल्यांकन कार्यवाही के पूरा होने को स्थगित कर सकता था, लेकिन हमारी राय में ऐसा करने और मूल मूल्यांकन कार्यवाही को पूरा करने में उनकी विफलता, बाद में जानकारी प्राप्त होने पर, अधिनियम की धारा 147 के तहत कार्य करने के उनके अधिकार क्षेत्र को नहीं छीन लेगी।बाद की जानकारी जिसके आधार पर आई. टी. ओ. ने यह विश्वास करने के लिए कारण प्राप्त किए कि कर के लिए प्रभार्य आय प्राथमिक तथ्यों का पूर्ण और सही खुलासा करने में निर्धारिती की चूक के कारण मूल्यांकन से बच गई थी, प्रासंगिक, विश्वसनीय और विशिष्ट थी।यह बिल्कुल भी अस्पष्ट या गैर-विशिष्ट नहीं था।"

ग

डी.

ई.

च

जी.

एस के इंजीनियरिंग कं. (पी) लिमिटेड बनामके आयुक्त

आयकर**,** अमृतसर **3,** इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः**- -**प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है **-**

2 (1993) 4 एससीसी 77 3 (2001) 10 एससीसी 189

"यह फिर से खोलने का मामला है।हमने दस्तावेजों का अध्ययन किया है।हम पाते हैं कि ऐसी सामग्री थी जिसके आधार पर आयकर अधिकारी मामले को फिर से खोलने के लिए आगे बढ़ सकते थे।यह केवल राय बदलने का मामला नहीं है।हम उच्च न्यायालय के निर्णय में केवल इसलिए हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि निर्धारिती के मामले को इस मूल्यांकन वर्ष के मूल मूल्यांकन में सही माना गया था।यह आयकर अधिकारी को अगले मूल्यांकन वर्ष के मूल्यांकन के दौरान ताजा सामग्री के आधार पर किए गए तथ्य के अपने निष्कर्षों के आधार पर पिछले वर्ष के मूल्यांकन को फिर से खोलने से नहीं रोकता है। याचिका खारिज की जाती है।सभी पक्ष अपना खर्च स्वयं वहां करेंगे। "

ग

22. उपरोक्त निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मूल्यांकन अधिकारी की जानकारी में आने वाले बाद के तथ्यों को यह तय करने के लिए ध्यान में रखा जा सकता है कि मूल्यांकन कार्यवाही को फिर से खोला जाना चाहिए या नहीं। बाद के मूल्यांकन वर्षों की कार्यवाही के दौरान निर्धारण अधिकारी के ध्यान में आने वाली जानकारी निश्चित रूप से अधिनियम की धारा 147 के तहत निर्धारण अधिकारी के पास निहित शक्तियों को लागू करने के लिए ठोस सामग्री बना सकती है।

डी.

23. बाद के वर्षों के लिए मूल्यांकन कार्यवाही में प्रकट की गई सामग्री के साथ-साथ अल्पसंख्यक शेयरधारकों द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री अधिनियम की धारा 147 के तहत कार्रवाई करने का आधार बनती है। नोटिस जारी करने के चरण में, मूल्यांकन अधिकारी को केवल प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण तैयार करना होता है।हमारी राय में बाद के वर्षों के लिए मूल्यांकन कार्यवाही में प्रकट की गई सामग्री इस तरह का दृष्टिकोण बनाने के लिए पर्याप्त थी।हम तदनुसार मानते हैं कि यह मानने के कारण थे कि इस मामले में आय निर्धारण से बच गई थी।प्रश्न संख्या 1 का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।

ई.

च

प्रश्न संख्या **2**

24. दूसरे प्रश्न पर आते हैं कि क्या निर्धारिती की ओर से सभी प्रासंगिक तथ्यों का पूर्ण और सही खुलासा करने में विफलता थी।निर्धारिती का मामला यह है कि उसने उन सभी तथ्यों का खुलासा किया था जिन्हें प्रकट करने की आवश्यकता थी।

जी.

25. राजस्व ने अल्पांश शेयरधारकों द्वारा की गई कुछ शिकायतों पर निर्भरता रखी है और यह आरोप लगाया जाता है कि उन शिकायतों से पता चलता है कि निर्धारिती अपने धन की राउंड-ट्रिपिंग में लिप्त था।राजस्व के अनुसार इन शिकायतों में प्रकट की गई सामग्री से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि निर्धारिती ए के साथ मुखौटा कंपनियों का एक नेटवर्क बनाने का दोषी है।

भारत में अपनी गैर-कर आय को विदेशों में संस्थाओं को हस्तांतरित करने और फिर इसे भारत में वापस लाने के लिए ताकि कराधान से बचा जा सके।हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम मामले के इस पहलू में नहीं जा रहे हैं क्योंकि उन शिकायतों को न तो उच्च न्यायालय या इस न्यायालय के समक्ष देखा गया है और इसलिए, यह निर्धारिती के लिए अनुचित होगा यदि हम ऐसी सामग्री पर भरोसा करते हैं जिससे निर्धारिती का सामना नहीं किया गया है।26. आई. डी. 1 पर मूल्यांकन आदेश पारित होने से पहले ही, मूल्यांकन अधिकारी उन संस्थाओं के बारे में जानता था जिन्होंने परिवर्तनीय बॉन्ड की सदस्यता ली थी।यह दिनांकित 08.04.2011 संचार से स्पष्ट है।राजस्व का मामला यह है कि निर्धारिती ने प्रत्येक संस्था द्वारा अभिदान की गई राशि और इसके अलावा इन कंपनियों की प्रबंधन संरचना का खुलासा नहीं किया।हम राजस्व के इस प्रस्तुतिकरण से सहमत नहीं हैं।मामले के अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि राजस्व उन संस्थाओं के बारे में जानता था जिन्होंने परिवर्तनीय बांडों की सदस्यता ली थी।यह आग्रह किया गया है कि ये फर्जी कंपनियां हैं, लेकिन हम इस स्तर पर इससे चिंतित नहीं हैं।हमारे सामने मुद्दा यह है कि क्या राजस्व अधिनियम की धारा 147 के पहले परंतुक के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए 6 साल की सीमा की विस्तारित अवधि का लाभ ले सकता है। यह तभी किया जा सकता है जब राजस्व यह दिखा सके कि निर्धारिती अपने मूल्यांकन के लिए आवश्यक सभी भौतिक तथ्यों को पूरी तरह से और सही मायने में प्रकट करने में विफल रहा है।हमारे विचार में निर्धारिती ने उन सभी तथ्यों का खुलासा किया था जो वह प्रकट करने के लिए बाध्य था।यदि राजस्व उस स्तर पर मामले की आगे की जांच करना चाहता तो वह आसानी से निर्धारिती को अधिक तथ्य प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता था।

ग

डी.

ई.

27. उच्च न्यायालय ने कहा कि फूल चंद के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून और होंडा सीएल पावर प्रोडक्ट्स में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को देखते हुए कोई "सही और निष्पक्ष खुलासा" नहीं किया गया था

च

सीमित बनाम उपायुक्त आयकर और अन्य **4.**हमारे पास है।

पहले से ही फूल चंद के मामले (उपरोक्त) में निर्णय का उल्लेख किया गया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जहां किसी विशेष मूल्यांकन वर्ष का लेन-देन एक फर्जी लेनदेन पाया जाता है, वहां किए गए सभी खुलासों को "सही" और "पूर्ण" नहीं कहा जा सकता है।उक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि केवल इसलिए कि परिवर्तनीय बॉन्ड के लेनदेन का खुलासा मूल मूल्यांकन के समय किया गया था, इसका मतलब यह नहीं है कि तथ्यों का सही और पूर्ण खुलासा है।

जी.

28. हम उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए इस तर्क से सहमत नहीं हैं।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, निर्धारिती ने होने के बारे में खुलासा किया

एच.

4 (2012) 340 आईटीआर 53 (दिल्ली)

666

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 7 एस सी आर।

एन. एन. पी. एल. सी. द्वारा लेन-देन के लिए गारंटी देने पर सहमति व्यक्त की गई और इसने परिवर्तनीय बांड जारी करने और उनके मोचन के तथ्य का भी खुलासा किया था।आय, यदि कोई हो, रियायती मूल्य पर मोचन के कारण उत्पन्न हुई।यह एक ऐसी घटना थी जो विचाराधीन मूल्यांकन वर्ष के बाद हुई थी, हालांकि यह मूल्यांकन वर्ष के लिए आय हो सकती है।जैसा कि हमने

ऊपर देखा है, सभी प्रासंगिक तथ्य उचित रूप से मूल्यांकन अधिकारी की जानकारी में थे।आकलन अधिकारी को पता था कि अन्य परिवर्तनीय बांडों की सदस्यता लेने वाली संस्थाएं कौन थीं और सहायक कंपनियों से संबंधित अन्य कार्यवाहियों में एक ही आकलन अधिकारी को पते और प्रत्येक बांडधारकों द्वारा भुगतान किए गए प्रतिफल की जानकारी थी, जैसा कि मेसर्स एनडीटीवी लैब्स लिमिटेड और मेसर्स एनडीटीवी लाइफस्टाइल लिमिटेड के मामलों में पारित किए गए आकलन आदेशों से स्पष्ट है। इसलिए, हमारी राय में निर्धारिती द्वारा इसके मूल्यांकन के लिए आवश्यक सभी भौतिक तथ्यों का पूर्ण और सही खुलासा किया गया था।

ग

29. इस तथ्य का खुलासा किया गया कि एन. एन. पी. एल. सी. द्वारा 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्टेप-अप कूपन बॉन्ड जारी किए गए थे; बॉन्ड की सदस्यता लेने वाली संस्थाएं कौन थीं, इसका खुलासा किया गया था; और इस तथ्य का भी खुलासा किया गया था कि मूल्यांकन को अंतिम रूप देने से पहले बॉन्ड को कम दर पर छूट दी गई थी।इस लेन-देन को निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया था और यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि निर्धारिती केवल उसी पर गारंटी शुल्क प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी था जो उसकी आय में जोड़ा गया था।लेन-देन के गुण-दोष पर आगे कुछ भी बताए बिना हमारा विचार है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि निर्धारिती ने राजस्व से किसी भी भौतिक जानकारी को रोक दिया था।30. राजस्व के अनुसार निर्धारिती ने अपनी सहायक कंपनियों के धन के वास्तविक स्रोत का पता लगाने से बचने के लिए अपने अंतिम खातों, तुलनपत्रों और प्रासंगिक अवधि के लिए लाभ और हानि खाते में सहायक कंपनियों के विवरण का खुलासा नहीं किया, जैसा कि भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत अनिवार्य था।यह विवादित नहीं है कि निर्धारिती ने कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत सक्षम प्राधिकारी से अपने अंतिम खातों, तुलनपत्रों आदि में इस तरह के विवरण प्रदान करने से छूट प्राप्त की थी। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि निर्धारिती निर्धारण अधिकारी को इसका खुलासा करने के लिए बाध्य था।आकलन अधिकारी ने 03.08.2012 के मूल्यांकन को अंतिम रूप देने से पहले कभी भी निर्धारिती से विवरण प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा था।

डी.

ई.

च

जी.

31. राजस्व ने अब यह दलील दी है कि कुछ दस्तावेजों की आपूर्ति नहीं की गई थी, लेकिन हमारे अनुसार इन सभी दस्तावेजों को ऐसे दस्तावेज नहीं कहा जा सकता है जिन्हें निर्धारिती मूल्यांकन के समय प्रकट करने के लिए बाध्य था।राजस्व द्वारा जुटाया गया मुख्य आधार यह है कि ए

एच.

निर्धारिती ने यह खुलासा नहीं किया कि किस ने कितनी राशि का अभिदान किया था और निर्धारिती के साथ उसका क्या संबंध था।जहाँ तक पहले भाग का संबंध है, यह सही नहीं लगता है।अभिलेख पर यह दिखाने के लिए सामग्री है कि एन. एन. पी. एल. सी. ने आयकर उप निदेशक (जांच) को एक संदेश भेजा था, जिसमें उसने न केवल सभी बॉन्ड धारकों के नाम, बल्कि उनके पते, प्राप्त कुल प्रतिफल के साथ बॉन्ड की संख्या का भी खुलासा किया था।यह चार्ट मेसर्स एन. डी. टी. वी. लैब्स लिमिटेड और मेसर्स एन. डी. टी. वी. लाइफस्टाइल लिमिटेड के मामले में दिनांकित 03.08.2012 मूल्यांकन आदेशों का हिस्सा है। उक्त दो मूल्यांकन आदेश एक ही अधिकारी द्वारा पारित किए गए थे जिसने उसी तारीख को निर्धारिती के मामले में मूल्यांकन आदेश पारित किया था।इसलिए, राजस्व के साथ पूरी सामग्री उपलब्ध थी।

ग

32. कई निर्णयों का हवाला दिया गया है कि सही और पूर्ण प्रकटीकरण का क्या अर्थ है।निर्णयों को गुणा करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इस संबंध में कानून को संविधान पीठ द्वारा संक्षिप्त रूप से निर्धारित किया गया है।

कलकत्ता डिस्काउंट कं. लिमिटेड बनाम इस न्यायालय मेंआय-कर अधिकारी, कंपनी जिला I, कलकत्ता और अन्य 5, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था

डी.

निम्नलिखित हैः- "(8)...उपयोग किए गए शब्द हैं "उस वर्ष के लिए उसके मूल्यांकन के लिए आवश्यक सभी भौतिक तथ्यों को पूरी तरह से और सही मायने में प्रकट करने में चूक या विफलता"।यह प्रत्येक निर्धारिती पर अपने मूल्यांकन के लिए आवश्यक सभी भौतिक तथ्यों को पूरी तरह से और सही मायने में प्रकट करने का कर्तव्य मानता है।कौन से तथ्य भौतिक हैं और मूल्यांकन के लिए आवश्यक हैं, वे मामले-दर-मामले अलग-अलग होंगे।प्रत्येक निर्धारण कार्यवाही में, निर्धारण प्राधिकारी को, किसी निर्धारिती से देय उचित कर की गणना या निर्धारण करने के उद्देश्य से, उन सभी तथ्यों को जानने की आवश्यकता होगी जो उसे सही निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद करते हैं।उसके कब्जे में प्राथमिक तथ्यों से, चाहे निर्धारिती द्वारा प्रकटीकरण पर, या प्रकट किए गए तथ्यों के आधार पर उसके द्वारा खोजे गए, या अन्यथा-मूल्यांकन प्राधिकरण को कुछ अन्य तथ्यों के संबंध में निष्कर्ष निकालना होगा; और अंततः, प्राथमिक तथ्यों और उनसे अनुमानित आगे के तथ्यों से, प्राधिकरण को उचित कानूनी निष्कर्ष निकालना होगा, और कराधान अधिनियम की सही व्याख्या पर, उचित कर का पता लगाना होगा।इस प्रकार, जब कोई सवाल उठता है कि क्या किसी निर्धारिती द्वारा प्राप्त कुछ आय पूंजी रसीद है, या राजस्व रसीद है, तो निर्धारण प्राधिकरण को यह पता लगाना होता है कि कौन से प्राथमिक तथ्य साबित हुए हैं, कौन से अन्य तथ्य हैं।

ई.

च

जी.

एच.

5 ए. आई. आर 1961 एस. सी. 372

668

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 7 एस सी आर।

उनसे अनुमान लगाया जा सकता है, और इन सभी को एक साथ लेकर यह तय किया जा सकता है कि कानूनी निष्कर्ष क्या होना चाहिए।

(9) इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि मूल्यांकन प्राधिकरण के समक्ष प्रश्न के निर्णय से संबंधित सभी प्राथमिक तथ्यों को प्रकट करने का कर्तव्य निर्धारिती पर निर्भर करता है।इस संभावित तर्क को पूरा करने के लिए कि जब कुछ लेखा पुस्तकें या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, तो निर्धारिती पर आगे के तथ्यों का खुलासा करने का कोई कर्तव्य नहीं है, जो कि उचित परिश्रम पर, आयकर अधिकारी ने पाया होगा, विधानमंडल ने स्पष्टीकरण दिया है, जो ऊपर दिया गया है।स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, निर्धारिती के लिए यह कहना खुला नहीं होगा, उदाहरण के लिए-"मैंने लेखा पुस्तकें और दस्तावेज प्रस्तुत किए हैंःआप, मूल्यांकन अधिकारी उनकी जांच करते हैं, और अपने उद्देश्य के लिए आवश्यक तथ्यों का पता लगाते हैंःइन लेखा-पुस्तकों और दस्तावेजों का खुलासा करना मेरा कर्तव्य है।" लेखा पुस्तकों में इन विशेष वस्तुओं, या दस्तावेजों के विशेष भागों, जो प्रासंगिक हैं, को मूल्यांकन प्राधिकरण के ध्यान में लाने में उनकी चूक "उनके मूल्यांकन के लिए आवश्यक सभी भौतिक तथ्यों को पूरी तरह से और सही मायने में प्रकट करने में चूक" के बराबर होगी।" न ही वह सफलतापूर्वक यह तर्क दे पाएगा कि कुछ साक्ष्यों का खुलासा करके, यह माना जाना चाहिए कि उसने अन्य साक्ष्यों का खुलासा किया है, जो मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा खोजे जा सकते थे यदि उसने जो खुलासा किया गया है उसके आधार पर जांच की थी।इस धारा के स्पष्टीकरण में ऐसी सभी दलीलों को स्पष्ट किया गया है और यह स्थिति बनी हुई है कि जहां तक प्राथमिक तथ्यों का संबंध है, यह निर्धारिती का

कर्तव्य है कि वह उन सभी का खुलासा करे-जिसमें लेखा पुस्तकों में विशेष प्रविष्टियां, दस्तावेजों और दस्तावेजों के विशेष भाग और अन्य साक्ष्य शामिल हैं, जो मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा खोजे जा सकते थे।

ग

डी.

ई.

च

(10) लेकिन क्या यह कर्तव्य सभी प्राथमिक तथ्यों के पूर्ण और सत्यपूर्ण प्रकटीकरण से परे है?हमारी राय में, इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक होना चाहिए।एक बार जब सभी प्राथमिक तथ्य मूल्यांकन प्राधिकरण के समक्ष होते हैं, तो उसे प्रकटीकरण के माध्यम से आगे किसी सहायता की आवश्यकता नहीं होती है।यह उसे तय करना है कि तथ्यों के कौन से निष्कर्ष यथोचित रूप से निकाले जा सकते हैं और अंततः कौन से कानूनी निष्कर्ष निकाले जाने हैं।यह किसी और के लिए नहीं है-निर्धारिती से बहुत कम-आकलन प्राधिकरण ए को बताना

जी.

एच.

669

नई दिल्ली टीवी लिमिटेड बनामआय कर विभाग के आयुक्त [दीपक गुप्ता, जे.] ए.

तथ्यों या कानून के बारे में क्या निष्कर्ष निकाले जाने चाहिए।वास्तव में, जब यह याद रखा जाता है कि दिए गए तथ्यों से क्या निष्कर्ष निकाले जाने चाहिए, इस संबंध में लोग अक्सर भिन्न होते हैं, तो यह मांग करना व्यर्थ होगा कि निर्धारिती को यह खुलासा करना चाहिए कि वह प्राथमिक तथ्यों से क्या निष्कर्ष निकालेगा-चाहे वह तथ्यों का हो या कानून का-।

(11) यदि प्राथमिक तथ्यों से एक से अधिक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, तो यह कहना संभव नहीं होगा कि निर्धारिती को कोई विशेष निष्कर्ष निकालना चाहिए था और इसे मूल्यांकन प्राधिकरण को सूचित करना चाहिए था।किसी निर्धारिती पर किसी निष्कर्ष को संप्रेषित करने में विफलता का आरोप कैसे लगाया जा सकता है, जो उसने निकाला होगा या नहीं?"

ग

इस निर्णय के सावधानीपूर्वक विश्लेषण से संकेत मिलता है कि संविधान पीठ ने कहा कि यह निर्धारिती का कर्तव्य है कि वह उन सभी भौतिक तथ्यों का पूर्ण और सही मायने में खुलासा करे जिन्हें उसने प्राथमिक तथ्य कहा है।अन्य तथ्यों का खुलासा न करना, जिन्हें गौण तथ्य कहा जा सकता है, आवश्यक नहीं है।उपरोक्त कानून के आलोक में, हम वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार करेंगे।33. हमारे विचार में निर्धारिती ने मूल्यांकन अधिकारी को अपने मामले के मूल्यांकन के लिए आवश्यक सभी प्राथमिक तथ्यों का खुलासा किया।राजस्व यह आग्रह करता है कि निर्धारिती ने कुछ अन्य तथ्यों का पूर्ण और सही खुलासा नहीं किया।हमारा विचार है कि निर्धारिती ने निर्धारण अधिकारी के समक्ष सभी प्राथमिक तथ्यों का खुलासा किया था और अन्य तथ्यों का खुलासा करके निर्धारण अधिकारी को कोई और सहायता देने की आवश्यकता नहीं थी।इस स्तर पर निर्धारण अधिकारी को यह तय करना था कि मामले के तथ्यों से क्या निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए।वर्तमान मामले में निर्धारण अधिकारी ने उसे बताए गए तथ्यों के आधार पर निर्धारिती द्वारा किए गए लेन-देन की वास्तविकता पर संदेह नहीं किया।यह आकलन अधिकारी उन तथ्यों के आधार पर उस स्तर पर भी कर सकता था जो वह पहले से ही जानता था।राजस्व द्वारा जिन अन्य तथ्यों पर भरोसा किया जाता है, वे हैं डी. आर. पी. के समक्ष कार्यवाही और मूल्यांकन आदेश के बाद के तथ्य, और हम पहले ही अंक संख्या 1 का निर्णय लेते समय इन पर विचार कर चुके हैं।हालाँकि, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकल सकता है कि निर्धारिती द्वारा सत्य और भौतिक तथ्यों का खुलासा नहीं किया गया है।

डी.

ई.

च

जी.

34. यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि जहां इस न्यायालय के समक्ष राजस्व दृढ़ता से आग्रह कर रहा है कि निर्धारिती भौतिक तथ्यों का खुलासा न करने का दोषी है, वहीं उच्च न्यायालय के समक्ष राजस्व का मामला बिल्कुल विपरीत था।हम द्वारा दायर जवाबी-हलफनामे के एक हिस्से को उद्धृत कर सकते हैं

एच.

670

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 7 एस सी आर।

उच्च न्यायालय के समक्ष निर्धारिती द्वारा दायर रिट याचिका के जवाब में राजस्व जो निम्नानुसार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"...इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि इस मामले में धारा 147 का दूसरा परंतुक स्पष्ट रूप से आकर्षित है और धारा 147 का पहला परंतुक इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है, यानी इस मामले में, धारा 147 के तहत निर्धारण को फिर से खोलने की एकमात्र आवश्यकता यह थी कि ए. ओ. के पास यह मानने का कारण था कि कर के लिए प्रभार्य कोई भी आय निर्धारण से बच गई है।दूसरी शर्त कि आकलन करने के लिए आवश्यक सभी भौतिक तथ्यों का पूरी तरह से और सही मायने में खुलासा करने में निर्धारिती की विफलता के कारण आय मूल्यांकन से बच गई होगी, माननीय न्यायालय के समक्ष मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक नहीं है।

ग

जवाबी हलफनामे में इस निवेदन को कई बार दोहराया गया है।इसलिए, हमारी राय में राजस्व अब पलट नहीं सकता है और यह आग्रह नहीं कर सकता है कि निर्धारिती तथ्यों का खुलासा न करने का दोषी है।हमारा यह भी विचार है कि राजस्व को एक ही समय में गर्म और ठंडा होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

डी.

35. हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपने जवाबी-हलफनामे को देखते हुए कि राजस्व निर्धारिती द्वारा तथ्यों का खुलासा न करने पर भरोसा नहीं कर रहा था, मौखिक रूप से इसका आग्रह करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी।अन्यथा भी हम पाते हैं कि निर्धारिती ने अपने मूल्यांकन के लिए आवश्यक सभी भौतिक तथ्यों का पूरी तरह से और सही मायने में खुलासा किया था और इसलिए, राजस्व 6 साल की सीमा की विस्तारित अवधि का लाभ नहीं ले सकता है।हम तदनुसार प्रश्न संख्या 2 का उत्तर देते हैं।

ई.

प्रश्न संख्या **3**

36. राजस्व द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह आग्रह किया जाता है कि अधिनियम की धारा 149 (1) (सी) के साथ पठित अधिनियम की धारा 147 के दूसरे परंतुक के संदर्भ में, सीमा अवधि 16 वर्ष होगी क्योंकि निर्धारिती ने किसी विदेशी संस्था से आय प्राप्त की है।हम दूसरे परंतुक और स्पष्टीकरण 2 (घ) का विशिष्ट संदर्भ दे सकते हैं जो इस प्रकार हैः- बशर्ते कि पहले

परंतुक में निहित कुछ भी उस मामले में लागू नहीं होगा जहां भारत के बाहर स्थित किसी संपत्ति (किसी भी इकाई में वित्तीय हित सहित) के संबंध में कोई आय, जो कर के लिए प्रभार्य है, किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण से बच गई हैः

च

जी.

XXX

XXX

XXX ए

एच.

671

नई दिल्ली टीवी लिमिटेड बनामआय कर विभाग के आयुक्त [दीपक गुप्ता, जे.] ए.

स्पष्टीकरण 2.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित मामले भी माने जाएंगे जहां कर के लिए प्रभार्य आय निर्धारण से बच गई है, अर्थात्ः—

XXX

XXX

XXX

((घ) जहाँ किसी व्यक्ति के पास भारत के बाहर स्थित कोई संपत्ति (किसी भी संस्था में वित्तीय हित सहित) पाई जाती है।

XXX

XXX

XXX

37. निर्धारिती की ओर से यह आग्रह किया गया है कि विदेशी संस्था से कोई आय प्राप्त नहीं हुई थी और ऋण को संपत्ति या आय नहीं कहा जा सकता है और यह प्रस्तुत किया जाता है कि नोटिस को दूसरे परंतुक के तहत जारी नहीं किया गया था।

ग

38. इस संबंध में हम 31.03.2015 दिनांकित सूचना का संदर्भ दे सकते हैं।दूसरे परंतुक के संबंध में सूचना स्पष्ट रूप से मौन है।यह दूसरे परंतुक पर निर्भर नहीं है और मूल रूप से अधिनियम की धारा 148 के प्रावधान पर निर्भर करता है। 04.08.2015 पर निर्धारिती को बताए गए कारणों में 'विश्वास करने का कारण' और निर्धारिती द्वारा भौतिक तथ्यों का खुलासा न करने का उल्लेख है।दूसरे परंतुक के संबंध में या तो नोटिस में या नोटिस के संबंध में 04.08.2015 पर दिए गए कारणों में भी कोई मामला स्थापित नहीं किया गया है।निर्धारिती की आपत्तियों को अस्वीकार करते समय ही दिनांक 23.11.2015 की आपत्तियों के निपटारे के क्रम में दूसरे परंतुक का संदर्भ दिया गया है।

डी.

ई.

39. उच्च न्यायालय ने मोहिंदर सिंह के फैसले पर भरोसा किया

गिल और एनर बनाममुख्य चुनाव आयुक्त**,** नई दिल्ली और अन्य। **6.**

और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि राजस्व दूसरे परंतुक पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि नोटिस इस संबंध में मौन था।हालाँकि, उच्च न्यायालय ने माना कि निर्धारिती भौतिक तथ्यों का खुलासा न करने का दोषी था।हम पहले ही यह मान चुके हैं कि हमारे विचार में निर्धारिती भौतिक तथ्यों का खुलासा न करने का दोषी नहीं था।राजस्व ने जहां तक उसके खिलाफ इस निष्कर्ष का संबंध है, उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती नहीं दी है, लेकिन राजस्व उस आधार पर भी याचिका का बचाव करने का हकदार है, जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया हो सकता है।

च

जी.

40. राजस्व की ओर से यह आग्रह किया जाता है कि सूचना में केवल दूसरे परंतुक का नाम न रखने से निर्धारिती को मदद नहीं मिलती है।यह आग्रह किया गया है कि भले ही नोटिस जारी करने की शक्ति के स्रोत का गलत उल्लेख किया गया हो, लेकिन सभी प्रासंगिक तथ्यों का उल्लेख किया गया हो, तो नोटिस हो सकता है

एच.

6 (1978) 2 एससीआर 272

672

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 7 एस सी आर।

प्रावधान के तहत एक नोटिस कहा जाता है जो राजस्व को इस तरह का नोटिस जारी करने का अधिकार देता है।कानून के इस प्रस्ताव के साथ कोई झगड़ा नहीं हो सकता है।हालाँकि, सूचना देने वाले या मूल्यांकनकर्ता को पूर्वाग्रह से ग्रस्त या आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए।अनियंत्रित तथ्य यह है कि दिनांकित 31.03.2015 नोटिस में किसी भी विदेशी इकाई का कोई उल्लेख नहीं है।केवल धारा 148 का उल्लेख है।निर्धारिती द्वारा विशेष रूप से कारण पूछे जाने के बाद भी, राजस्व केवल यह दिखाने के लिए तथ्यों पर निर्भर था कि यह मानने का कारण था कि आय मूल्यांकन से बच गई है और यह पलायन भौतिक तथ्यों का खुलासा न करने के कारण था।यह इंगित करने के लिए कुछ भी कारण नहीं हैं कि राजस्व 16 साल की विस्तारित अवधि को लागू करने का इरादा रखता था।निर्धारिती द्वारा दिए गए कारणों पर अपना जवाब दाखिल करने के बाद ही पहली बार अस्वीकृति के क्रम में राजस्व द्वारा दूसरे परंतुक का संदर्भ दिया गया था।

ग

41. हमारे विचार में यह एक उचित या उचित प्रक्रिया नहीं है।यदि पहली सूचना में नहीं, तो कम से कम कारण प्रस्तुत करते समय निर्धारिती को सूचित किया जाना चाहिए था कि राजस्व दूसरे परंतुक पर निर्भर है।निर्धारिती को उन सभी प्रावधानों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए जिन पर राजस्व निर्भर करता है।पुनरावृत्ति के जोखिम पर, हम दोहराते हैं कि हम मामले के गुण-दोष में नहीं जा रहे हैं, लेकिन यदि राजस्व ने निर्धारिती को यह कहते हुए नोटिस जारी किया था कि यह दूसरे परंतुक पर निर्भर करता है, तो निर्धारिती को यह दिखाने का मौका मिला होगा कि वह किसी विदेशी संपत्ति या किसी विदेशी संस्था में वित्तीय हित से कोई आय प्राप्त नहीं कर रहा था, या यह कि संपत्ति उससे संबंधित नहीं थी या कोई अन्य आधार जो उपलब्ध हो सकता है।नोटिस का जवाब देते समय निर्धारिती को इस अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है।

डी.

ई.

42. इसलिए, भले ही हम उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारण से पीछे न हटें कि राजस्व एक नया आधार नहीं ले सकता है, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि उसके बाद दिया गया नोटिस और कारण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं हैं

और निर्धारिती को उन आरोपों का जवाब देने का उचित और पर्याप्त अवसर नहीं मिला, जिन पर अब राजस्व भरोसा कर रहा है।

च

43. यदि राजस्व को दूसरे परंतुक पर भरोसा करना है और यह आग्रह करना चाहता है कि 16 वर्ष की सीमा लागू होगी, तो हमारी राय में या कम से कम नोटिस के समर्थन में कारणों में, निर्धारिती को ध्यान में रखा जाना चाहिए था कि राजस्व दूसरे परंतुक पर निर्भर करता है।निर्धारिती अपनी आपत्तियों की अस्वीकृति के स्तर पर या उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के स्तर पर आश्चर्यचकित नहीं हो सका कि नोटिस को ए के प्रावधानों को लागू करने वाले नोटिस के रूप में माना जाना है।

जी.

एच.

673

नई दिल्ली टीवी लिमिटेड बनामआय कर विभाग के आयुक्त [दीपक गुप्ता, जे.]

अधिनियम की धारा 147 का दूसरा परन्तुक। तदनुसार, हम तीसरे प्रश्न का उत्तर यह मानते हुए देते हैं कि निर्धारिती को जारी किए गए नोटिस और सहायक कारणों से अधिनियम की धारा 147 के दूसरे परंतुक के प्रावधानों का आह्वान नहीं किया गया था और इसलिए इस स्तर पर राजस्व को दूसरे परंतुक का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

निष्कर्ष

44. हम तदनुसार यह अभिनिर्धारित करते हुए अपील की अनुमति देते हैं कि निर्धारिती को जारी किया गया नोटिस आकलन अधिकारी की ओर से मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण दिखाता है, लेकिन चूंकि राजस्व तथ्यों का खुलासा न करने में विफल रहा है, इसलिए 4 साल की अवधि के बाद जारी किए गए नोटिस को रद्द करने की आवश्यकता है।ऐसा मानने के बाद, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने इस बारे में कोई राय व्यक्त नहीं की है कि इस मामले के तथ्यों पर राजस्व दूसरे परंतुक का लाभ उठा सकता है या नहीं।इसलिए, यदि कानून के तहत अन्यथा अनुमति है तो राजस्व दूसरे परंतुक का लाभ उठाते हुए नया नोटिस जारी कर सकता है।हम यह स्पष्ट करते हैं कि दोनों पक्ष इस तरह के नोटिस की वैधता के संबंध में सभी विवाद उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे।सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया जाएगा।

ग

डी.

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।

ई.

च

जी.

एच.